ग्रा0वि0-6-NRLM/01-09/2025.....41663.71

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक-03/06/2025

विषयः **बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अधीन राज्य स्तर पर गठित बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर कुल 653 पदों के सृजन की स्वीकृति ।**

संकुल स्तरीय प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अधीन राज्य स्तर पर बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना का गठन, इसकी उपविधियाँ की स्वीकृति एवं निबंधन किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसे जीविका निधि के नाम से भी जाना जाएगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना का संकल्प सं0-4092974 दिनांक-19.05.2025 निर्गत है ।

2. सामुदायिक संगठनों से जुड़े परिवारों की संख्या व्यापक होने तथा सदस्यों के जीविकोपार्जन संवर्धन संबंधित वित्तीय जरूरतों की पूर्ति करने हेतु राज्य स्तर पर एक विशिष्ट सहकारी साख संस्थान के गठन की परिकल्पना की गयी है।

3. बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना (जीविका निधि) के गठन से इससे जुडे सदस्यों को कम ब्याज दर पर पूंजी उपलब्ध होगी एवं बैंक के माध्यम से उपलब्ध होने वाले ऋण में विलम्ब से होनेवाली समस्या को दूर किया जा सकेगा । इस संस्थान के गठन से वैकल्पिक वित्तीय श्रोत की उपलब्धता हो सकेगी, सूक्ष्म वितीय संस्थाओं पर निर्भरता में कमी आयेगी, आवश्यकतानुसार ऋण उत्पाद की व्यवस्था संभव हो सकेगी एवं बडे राशि वाले ऋण की मांग की ससमय पूर्ति होगी । साथ ही समय पर वित्तीय सहायता की उपलब्धता संभव हो सकेगी एवं सामुदायिक निधि के वैश्वासिक जोखिम (fiduciary risk) से बचाने में सहायता प्राप्त होगी।

4. बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना (जीविका निधि) के सफल संचालन हेतु राज्य स्तर पर कुल-43 पद, जिला स्तर पर कुल-76 पद (प्रत्येक जिला के लिए 02 पद), प्रखंड स्तर पर कुल-534 पद (प्रत्येक प्रखंड के लिए 01 पद) अर्थात कुल-653 पद प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा पर नियुक्ति हेतु सृजित किया गया है(अनुलग्नक-1 के अनुसार) ।

5. उक्त पदों की अर्हता, शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता तथा अन्य-योग्यताओं का निर्धारण बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड की प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा।

6. उक्त पदों के नियोजन में आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा ।

7. संविदा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियोजित किये गये उपर्युक्त पदाधिकारियों/कर्मियों के मानदेय का भुगतान राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा अपने आय के साधनों से किया जायेगा । इन

पदाधिकारियों/कर्मियों के पद सृजन पर प्रति वर्ष लगभग 4202.00 लाख (ब्यालीस करोड़ दो लाख) रू0 का व्यय संभावित है ।

8. इस पर दिनांक-03.06.2025 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं.-06 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 4/66371 / पटना, दिनांक- 03/06/2025

प्रतिलिपि- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 100 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 4/66371 / पटना, दिनांक- 03/06/2025

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 4/66371 / पटना, दिनांक- 03/06/2025

प्रतिलिपि- राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व परिषद, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 4166371 / पटना, दिनांक- 03/06/2025

प्रतिलिपि- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका/ वित्त विभाग, बजट शाखा/ योजना एवं विकास विभाग/बजट शाखा, ग्रामीण विकास विभाग/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/6/2025

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 4166371 / पटना, दिनांक- 03/06/2025

प्रतिलिपि- आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव

3/6/2025

अनुलग्नक-1

'बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना' के लिए पदों की विवरणी

क्र. सं.	विवरण	पदों का स्तर	पदों की संख्या	वेतनमान प्रति माह	नियुक्ति का प्रकार
1	अपर प्रबंध निदेशक (भारतीय प्रशासनिक सेवा का संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर)	राज्य	1	-	प्रतिनियुक्ति (गैर संवर्गीय पद पर सेवा प्राप्त की जायेगी)
2	उप प्रबंध निदेशक (बिहार प्रशासनिक सेवा का उप सचिव से अन्यून स्तर)	राज्य	2	-	प्रतिनियुक्ति (गैर संवर्गीय पद पर सेवा प्राप्त की जायेगी)
3	मुख्य महाप्रबंधक (रिजर्व बैंक आफ इण्डिया /नाबार्ड/ राष्ट्रीयकृत बैंक के उप महाप्रबंधक स्तर के सेवानिवृत पदाधिकारी)	राज्य	1	1.5 लाख	समकक्ष पद से सेवानिवृत पदाधिकारी की संविदा नियोजन अथवा संविदा पर सीधी नियुक्ति
4	महाप्रबंधक - वित्त, बैंकिग सेवायें एवं परिचालन (राष्ट्रीयकृत बैंक के सहायक महाप्रबंधक स्तर के सेवानिवृत पदाधिकारी)	राज्य	2	1.25 लाख	समकक्ष पद से सेवानिवृत पदाधिकारी की संविदा नियोजन अथवा संविदा पर सीधी नियुक्ति
5	महाप्रबंधक - मानव संसाधन, प्रशासन एवं प्रशिक्षण	राज्य	1	1.25 लाख	संविदा पर सीधी नियुक्ति
6	मुख्य वित्त पदाधिकारी	राज्य	1	-	बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा से संयुक्त आयुक्त स्तर के पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा पर सीधी नियुक्ति
7	उप महाप्रबंधक - मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण	राज्य	1	1.15 लाख	संविदा पर सीधी नियुक्ति
8	उप महाप्रबंधक - एम.आई.एस. एवं आईटी	राज्य	1	1.15 लाख	संविदा पर सीधी नियुक्ति
9	उप महाप्रबंधक - वित्तीय समावेशन	राज्य	1	1.15 लाख	संविदा पर सीधी नियुक्ति
10	उप महाप्रबंधक - परिचालन (राष्ट्रीयकृत बैंक के वरीय प्रबंधक स्तर के सेवानिवृत पदाधिकारी अथवा संविदा पर सीधी नियुक्ति)	राज्य	2	1.15 लाख	सेवानिवृत पदाधिकारी की संविदा पर नियुक्ति अथवा संविदा पर सीधी नियुक्ति
11	उप महाप्रबंधक - वित्त एवं बैंकिग सेवायें (राष्ट्रीयकृत बैंक के सेवानिवृत वरीय प्रबंधक अथवा संविदा पर सीधी नियुक्ति)	राज्य	1	1.15 लाख	सेवानिवृत पदाधिकारी की संविदा पर नियुक्ति अथवा संविदा पर सीधी नियुक्ति

12	उप महाप्रबंधक - अनुपालन (बिहार सहकारिता सेवा के पदाधिकारी)	राज्य	1	-	प्रतिनियुक्ति पर/सेवानिवृत पदाधिकारी की संविदा पर नियुक्ति
13	सहायक प्रशासी पदाधिकारी (बिहार ग्रामीण सेवा के पदाधिकारी)	राज्य	6	-	प्रतिनियुक्ति पर (ग्रामीण विकास विभाग से सेवा प्राप्त की जाएगी)
14	सहायक महाप्रबंधक - वित्त, बैंकिंग सेवायें एवं परिचालन	राज्य	4	1.00 लाख	संविदा पर सीधी नियुक्ति
15	सहायक महाप्रबंधक - वितीय समावेशन	राज्य	1	1.00 लाख	संविदा पर सीधी नियुक्ति
16	सहायक महाप्रबंधक - प्रशासन	राज्य	1	1.00 लाख	संविदा पर सीधी नियुक्ति
17	सहायक महाप्रबंधक - मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण	राज्य	1	1.00 लाख	संविदा पर सीधी नियुक्ति
18	सहायक महाप्रबंधक - एम.आई.एस. एवं आईटी	राज्य	1	1.00 लाख	संविदा पर सीधी नियुक्ति
19	लेखापाल-सह-कार्यालय सहायक	राज्य	12	0.50 लाख	प्रतिनियुक्ति /संविदा पर सीधी नियुक्ति
20	प्रोग्रामर/डेटा विश्लेषक	राज्य	2	0.60 लाख	प्रतिनियुक्ति /संविदा पर सीधी नियुक्ति
21	जिला प्रबंधक	जिला	38	0.75 लाख	प्रतिनियुक्ति /संविदा पर सीधी नियुक्ति
22	लेखापाल-सह-कार्यालय सहायक	जिला	38	0.40 लाख	प्रतिनियुक्ति /संविदा पर सीधी नियुक्ति
23	सहायक प्रबंधक	प्रखंड	534	0.50 लाख	प्रतिनियुक्ति /संविदा पर सीधी नियुक्ति
कुल			653		

नोट:

1. इसके अतिरिक्त राज्य एवं जिला स्तर पर सपोर्ट स्टाफ की सेवाएं आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जा सकेंगी, जिसका व्ययभार आवश्यकतानुसार अलग होगा ।
2. बिहार सरकार से सेवानिवृत पदाधिकारी की नियुक्ति की स्थिति मे सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 के आलोक मे मानदेय का भुगतान किया जाएगा ।
3. भारत सरकार के उपक्रम या किसी भी लोक उपक्रम से सेवानिवृति के मामले में अन्तिम वेतन + महंगाई भत्ता - पेंशन + महंगाई भत्ता की राशि अनुमान्य होगी ।